न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

अब्दुल लतीफ पुत्र हैदर खां बनामतहसीलदार निवाई जिला टोंक

आदेश दिनांकः—15.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट से बिना उसकी जानकारी के दिनांक 21.12.2012 को उसके हिस्से का हक त्याग करवा लिया गया। लगभग 9 वर्ष बाद उक्त हक त्याग के आधार पर दिनांक 01.11.2021 को नामांतरण संख्या 1521 खोल दिया गया जो अवैध है और खारिज योग्य है।

वकील अपीलांट द्वारा अपील के दर्ज रजिस्टर होने के बाद एक पक्षीय बहस सुनकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया। अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 5—मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपील में अंतिम बहस के दौरान किया जायेगा। अपील के बिन्दुओ का अवलोकन किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा अवगत कराया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा न0 950 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा ग्राम चैनपुरा तहसील निवाई में स्थित है तथा अपीलांट का हिस्सा 1/16 बनता है।

वकील अपीलांट के अनुसार दिनांक 21.12.2012 को अपीलांट से उसके हिस्से (1/16) का धोखे से हक त्याग रेस्पोडेण्ट द्वारा करवा लिया गया। 9 वर्ष बाद उक्त हक त्याग के आधार पर तहसीलदार निवाई द्वारा धारा 135(2) के तहत सुनवाई करते हुए उक्त हक त्याग के आधार पर नामांतरण संख्या 1521 दिनांक 01.11.2021 स्वीकृत कर लिया गया। जब कि धारा 135(2) में पक्षकारों को सुनकर ही निर्णय करना होता है अपीलांट को सुने बिना नामांतरण तस्दीक किया गया है। अपीलांट को कोई नोटिस तामील नहीं हुआ है।

मोहम्मडन लॉ में हक त्याग बाबत कोई नियम नहीं है। जहां तक अपीलांट अब्दुल लतीफ के नोटिस की तामील बाबत प्रश्न है न्यायालय तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 18.10.2021 को उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने बाबत उक्त नोटिस दिनांक 18.10.2021 को जारी किया गया। नोटिस के अग्र भाग पर हरित नाम का अंकन है तथा कोष्ठक में भतीजा लिखा हुआ है। और बाद तामील से मानते हुए अंकन किया गया। दिनांक 28.10.2021 को आदेश जारी होना पाया गया। यह सही है कि अब्दुल लतीफ अपीलांट को स्वयं को नोटिस तामील नहीं हुआ है। और नोटिस में फरीद जिसे भतीजा अंकित किया हुआ है उस बाबत अपील में बहस के दौरान स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। न्यायालय का इस स्टेज पर यह मानना है कि अपीलांट को उचित तरिके से तामील नहीं हुई है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध है अतः न्यायालय यह उचित समझता है कि आगामी तिथि तक राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी एवं
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 28/2022 जिला टोंक

अब्दुल लतीफ पुत्र हैदर खां जाति मेव मुसलमान उम्र 70 वर्ष निवासी रेलवे स्टेशन निवाई तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)

—अपीलांट

बनाम्

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक
2. निसार अहमद पुत्र अब्दुल रहीम उर्फ रसीद खां जाति मुसलमान उम्र 54 वर्ष
3. मुन्शी खां पुत्र अब्दुल रहीम उर्फ रसीद खां जाति मुसलमान उम्र 51 वर्ष
4. गुलजार खां पुत्र अब्दुल रहीम उर्फ रसीद खां जाति मुसलमान उम्र 48 वर्ष
5. अब्दुल रईस पुत्र अब्दुल रहीम उर्फ रसीद खां जाति मुसलमान उम्र 45
6. मोहम्मद हसन पुत्र अब्दुल रहीम उर्फ रसीद खां जाति मुसलमान उम्र 25 वर्ष
7. फरीदा बानो पुत्री अब्दुल रहीम उर्फ रसीद खां जाति मुसलमान उम्र.......वर्ष

सभी जाति मुसलमान निवासीयान रेलवे स्टेशन निवाई तहसील निवाई जिला टोंक

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(एफ) राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट, 1955 , अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.10.2021 प्रकरण संख्या 17/2021 तहसीलदार निवाई, जिसके द्वारा खातेदार अपीलांट के हिस्सा 1/16 की भूमि खसरा नम्बर 950 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा चैनपुरा तहसील निवाई का नामान्तकरण रेस्पोडेण्टस निसार अहमद, मुन्शी खां, गुलजार खां, अब्दुल रहीम, मोहम्मद हसन हिस्सा 5/96 व मृतक मोहम्मद ईरशाद के वारिसान निसार अहमद, मुन्शी खां, गुलजार खां, अब्दुल रहीम , मोहम्मद हसन, फरीदा बनो हिस्सा 1/96 के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही करने के आदेश दिये।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री शिवजीराम चौधरी(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः—अनुपस्थित

निर्णय   दिनांकः—17.02.2023

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट से बिना उसकी जानकारी के दिनांक 21.12.2012 को उसके हिस्से का हक त्याग करवा लिया गया। लगभग 9 वर्ष बाद उक्त हक त्याग के आधार पर दिनांक 01.11.2021 को नामांतरण संख्या 1521 खोल दिया गया जो अवैध है और खारिज योग्य है। वकील अपीलांट के अनुसार दिनांक 21.12.2012 को अपीलांट से उसके हिस्से (1/16) का धोखे से हक त्याग रेस्पोडेण्ट द्वारा करवा लिया गया। 9 वर्ष बाद उक्त हक त्याग के आधार पर तहसीलदार निवाई द्वारा धारा 135(2) के तहत सुनवाई करते हुए उक्त हक त्याग के आधार पर नामांतरण संख्या 1521 दिनांक 01.11.2021 स्वीकृत कर लिया गया। जब कि धारा 135(2) में पक्षकारों को सुनकर ही निर्णय करना होता है अपीलांट को सुने बिना नामांतरण तस्दीक किया गया अपीलांट को कोई नोटिस तामील नहीं हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh
Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:15 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलांट द्वारा अपील के दर्ज रजिस्टर होने के बाद एक पक्षीय बहस सुनकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया। अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 5—मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनने के बाद अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आदेश दिनांक 15.03.2022 को जारी किया गया।

अपील के आधार निम्नानुसार है–

1. बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।

2. धोखे से हकत्याग का दस्तावेज तैयार करवाया गया, जो इस बात से सिद्ध होता है कि हकत्याग पत्र दिनांक 21.12.2012 का है तथा उक्त हकत्याग पत्र के अनुसरण में नामातंरण की कार्यवाही करने हेतु दिनांक 18.10.2021 को प्रार्थना पत्र तहसीलदार को उपलब्ध करवाया गया। जिस पर बाद में नामातंरण खोलने के निर्देश दिये गये। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2021 प्रकरण संख्या 17/2021, नामातंरण संख्या 1521 दिनांक 01.11.2021 को ग्राम चैनपुरा को निरस्त किया जायें।

प्रार्थना पत्र मियाद अवधि अधिनियम धारा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट को हकत्याग के बाद स्वीकृत नामातंरण 1521 ग्राम चैनपुरा की जानकारी पटवारी से हुई, जब वह भूमि की नापजौंक करने पहुंचा और उसने बताया कि जमीन तो रेस्पो0 2 से लेकर 7 के नाम हकत्याग के आधार पर खातेदारी में अंकित हो चुकी है। तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन दिनांक 31.01.2022 को पेश किया तथा नकल दिनांक 02.02.2022 को प्राप्त हुई। इसी प्रकार हकत्याग पत्र की नकल हेतु दिनांक 07.02.2022 को पेश किया तथा नकल दिनांक 08.02.2022 को प्राप्त हुई। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जायें तथा देरी को क्षमा किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा तहसीलदार निवाई के निर्णय दिनांक 28.10.2021 प्रकरण संख्या 17/2021 निसार व अन्य बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम की प्रमाणित प्रतिलिपी अब्दुल लतीफ को तहसीलदार निवाई द्वारा भेजे गये नोटिस दिनांक 18.10.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपी के नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपी , प्रकरण संख्या 17/2021 की तहसीलदार न्यायालय निवाई की प्रोसिडिंग की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 18.10.2021 से 28.10.2021 ,निसार अहमद का प्रार्थना पत्र बाबत नामातंरण खुलवाने बाबत दिनांक 08.10.2021 , स्वीकृत नामातंरण 1521 ग्राम चैनपुरा की पटवारी द्वारा जारी प्रति, 100 रूपये का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प, सत्यप्रति हकत्याग पत्र दिनांक 21.12.2012 ग्राम चैनपुरा खसरा नम्बर 950 , खाता संख्या नया 346 ग्राम चैनपुरा खसरा नम्बर 950, नामातंरण संख्या 1243 का शुद्धिपत्र प्रस्तुत किये।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रिकोर्ड तलब किया जाकर रिकोर्ड प्राप्त किया गया। बावजूद तामील रेस्पो0 संख्या 2 से 7 उपस्थित नहीं हुए बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि खसरा नम्बर 950 ग्राम चैनपुरा में उनका 1/16 हिस्सा है। सन् 2012 में धोखाधड़ी से हमारा हिस्सा हकत्याग करवा दिया गया। अब नामातंरण संख्या 1521 निर्णय दिनांक 01.11.2021 खोल दिया गया है। उक्त कार्यवाही धारा 135(2) एल0आर0एक्ट में की गई थी, मुझे नोटिस तामील नही हुआ है। अपील स्वीकार किया जायें और नामातंरण संख्या 1521 निरस्त किया जायें।

अपील में अपीलांट के आक्षेप बाबत की तहसीलदार निवाई द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था बाबत दस्तावेज का अवलोकन किया।

दिनांक 21.10.2022 को रेस्पो0 संख्या 2 से 7 के एवं राजकीय अभिभाषक को न्यायालय समय मे कई बार आवाजे लगवाने पर भी उपस्थित नहीं होने पर वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुन ली गई तथा पत्रावली रिजर्व रख ली गई। वकील रेस्पो0 2 से 7 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:15 IST
Reason: SelfAttested

कोर्ट में एक वकालतनामा तथा प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वकालतनामा एवं लिखित बहस प्रस्तुत की जा रही है। जिसे रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायोचित होगा। यदि लिखित बहस एवं वकलातनाम को रिकोर्ड पर नहीं लिया जायेगा तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। रेस्पो0 के द्वारा लिखित बहस के प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पो0 द्वारा प्रकरण से संबंधित पूर्व राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी न्यायालय निवाई राजीनामा दिनांक 21.12.2012 , प्रकरण संख्या 220/12 हकत्याग पत्र दिनांक 21.12.2012 सिविल न्यायाधीश निवाई में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया।

लिखित बहस में वकील रेस्पोडेंट ने बताया है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य एक राजस्व वाद दिनांक 06.02.2012 को वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था। इसमें विवादित खसरा नम्बर 1517, 1520,1521,1525,1526,1527,1528,1531,1551,1552,1553,1557 कस्बा निवाई में स्थित है। इस बाबत एक राजीनामा पक्षकारों के मध्य दिनांक 21.12.2012 को प्रस्तुत किया गया और राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री कर दिया। मगर उस समय खसरा नम्बर 950 का हवाला वाद में नहीं होने से उसी दिनांक 21.12.2012 को राजीनामें की पालना में अपीलांट अब्दुल लतीफ पुत्र हैरदखां एवं अपीलांट के भाई अब्दुल हमीद पुत्र हैदरखां दिनांक 21.12.2012 को ही उक्त हकत्याग पत्र रेस्पोडेंट संख्या 2 से लेकर 7 के मध्य निष्पादित किया। जिसके आधार पर नामातंरण संख्या 1521 दिनांक 01.11.2021 तस्दीक किया गया। यदि अपीलांट हकत्याग पत्र को फर्जी बताता है तो उसे सिविल न्यायालय में जाकर निरस्त करवाना होगा। अन्य हकत्यागकर्ता जो कि अपीलांट का भाई है। अब्दुल हमीद पुत्र हैदरखां को पक्षकार नहीं बनाया गया है। नामातंरण संख्या 1521 धारा 135(1) के तहत स्वीकृत किया गया है जिसकी अपील न्यायालय हाजा मे नहीं होती है। अपीलांट द्वारा हकत्याग को निरस्त कराने बाबत सिविल न्यायाधीश निवाई के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार तहसीलदार निवाई द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण संख्या 17/2021 में कार्यवाही की गई थी। लिखित बहस में वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। क्योंकि हकत्याग दिनांक 21.12.2022 का है तथा नामातंरण दिनांक 01.11.2021 की जानकारी भी अपीलांट को थी। न्यायालय प्रार्थी के इस बात से सहमत है कि जब उसे प्रकरण में सुना ही नही गया तो उसे निर्णय की जानकारी नहीं हुई होगी। प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने यह कहा कि पटवारी द्वारा नापजौक करने के लिए आने पर उन्हें जानकारी हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 के अनुसार जानकारी होने के बाद दिनांक 31. 01.2022 को आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा नकल दिनांक 02.02. 2022 को प्राप्त की। इसी प्रकार हकत्याग पत्र की नकल हेतु आवेदन दिनांक 07.02.2022 को किया और नकल दिनांक 08.02.2022 को प्राप्त की। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 03.03.2022 को प्रस्तुत होना पायी जाती है। जानकारी दिनांक से अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अब्दुल लतीफ को दिनांक 18.10.2021 को नोटिस जारी किया गया तथा उसे दिनांक 26.10.2021 को तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के सामने वाली साइड पर फरीद अंकित है तथा उसके नीचे कोष्ठक में भतीजा लिखा हुआ है। तहसीलदार न्यायालय प्रकरण संख्या 17/2021 प्रोसिडिंग दिनांक 26.10.2021 में यह अंकित है कि अब्दुल लतीफ उपस्थित नहीं। दिनांक 28.10.2021 को पटवारी को पालना हेतु लिखा गया। तामील संबंधित सीपीसी के नियमों का अवलोकन किया गया। आदेश 5 नियम 15 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:15 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार तामील कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों पर की जा सकती है। आदेश 5 नियम 16 के अनुसार जिस व्यक्ति पर तामील की गई है वह अभिस्वकृति हस्ताक्षरित करेगा यह कहा गया है। आदेश 5 नियम 18 में तामील करने के समय और समय और रीति का पृष्ठांकन बाबत बताया गया है। इसके अनुसार जिस अन्य व्यक्ति पर तामील की गई हों। उस व्यक्ति को सम्मन परिदान करते समय जिस व्यक्ति द्वारा पहचाना गया हो वह साक्षी रहा हो तो उसका नाम और पता बताने वाले विवरण मूल सम्मन पर पृष्ठांकित करेगा। वर्तमान प्रकरण में अब्दुल लतीफ को भेजे गये सम्मन की तामील उसके खुद के उपर नहीं करवायी गई है। जो काफी वृद्ध व्यक्ति है तथा जिसके घर पर होने की संभावना ज्यादा थी उसकी जगह फरीद नामक व्यक्ति को सम्मन दिया गया है। जिसके बारे में उसका भतिजा होना बताया है। मगर फरीद किसका पुत्र है उसकी क्या उम्र है तथा अपीलांट के साथ उसका क्या संबंध है बाबत कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा उसको किस व्यक्ति द्वारा पहचाना गया है यह अंकित नहीं है। इस प्रकार सीपीसी के आदेश 5 नियम 18 की पालना जो कि जानी चाहिए थी। वह नहीं की गई है जो उचित नहीं है। साथ ही हकत्याग पत्र को 9 वर्ष बाद रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत किया जाना भी प्रकरण में कुछ संदिग्धता दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण यही था कि अपीलांट न्यायालय में उपस्थित होता तथा हकत्याग के बारे में वस्तु स्थिति प्रकट करता जो इस प्रकरण में नहीं हो पाया। स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लघंन किया गया है।

लिखित बहस में स्वयं वकील रेस्पोडेंट द्वारा यह बताया गया है कि सिविल न्यायाधीश निवाई के समक्ष अपीलांट द्वारा हकत्याग निरस्तीकरण बाबत वादपत्र पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। साथ ही अन्य हकत्यागकर्ता अब्दुल हमीद जो कि अपीलांट का भाई है को अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने पर रेस्पोडेंट द्वारा आक्षेप किया गया है। स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हकत्याग को सही नहीं मानने की वजह से ही सिविल न्यायालय में वाद दायर करवाया है। हकत्याग के बाद नामातंरण 9 वर्ष बाद खुलवाया गया है। जो मामले को संदिग्ध बनाता है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 220/2012 के पक्षकारों को देखा गया। उक्त वादपत्र में सिर्फ अब्दुल लतीफ जो कि वर्तमान अपीलांट है को रेस्पोडेंट द्वारा अपने वाद में पक्षकार(रेस्पोडेंट) बनाया गया था और उक्त वादपत्र में मात्र निवाई ग्राम में स्थित भूमियों बाबत ही विवाद बताया है। ग्राम चैनपुरा की जमीनों बाबत कोई विवाद नही बताया गया है तथा हकत्याग पत्र दिनांक 20.12.2012 का अवलोकन किया गया। उक्त हकत्याग अब्दुल लतीफ एवं अब्दुल हमीद पुत्र हैदरखां द्वारा किया जाना अवलोकित होता है। इससे स्पष्ट है कि हकत्याग में वर्णित भूमियां वाद में वर्णित भूमियों से बिल्कुल अलग होकर अन्य गांव में स्थित है। अतः वकील रेस्पोडेंट की बात को नही माना जा सकता है कि उक्त विवादित भूमियां वादपत्र में ग्राम चैनपुरा की छूट गयी थी। अपीलांट अपील का मास्टर है। वह चाहे जिसे पक्षकार बना सकता है। न्यायालय उस हद तक ही निर्णय करता है। वकील अपीलांट की इस बात में दम नहीं है कि तहसीलदार निवाई द्वारा प्रकरण को धारा 135(1) में निर्णित किया गया है। अपीलाधीन प्रकरण 17/2021 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण धारा 135(2) दर्ज किया हुआ होना पाया जाता है। रेस्पोडेंट का यह कथन सिद्ध नहीं हुआ है। समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के दौरान प्रोपर तामील नही करवायी गयी। उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः प्रकरण को पुनः प्रति प्रेषित कर सुनवाई हेतु भिजवाया जाना उचित है। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा तहसीलदार निवाई प्रकरण संख्या 17/2021 निसार अहमद एवं अन्य बनाम अब्दुल अहमद एवं अन्य निर्णय दिनांक 28.10.2021 अपास्त किया जाता है। पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार निवाई को पत्रावली प्रति प्रेषित की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:15 IST
Reason: SelfAttested